फार्मटी०आर025 जी०ए०आर—15—सी (उपबिल) एल०टी०सी०

## राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (भा.कृ.अनु.प.)

कर्मचारी	सं0
	मुख्य
उप बिंल	₹10,

		ब्लाक व	र्ष से	के लिए		
			भाग-क	•		
		(	सरकारी कर्मचारी द्वारा <b>भ</b> र	रा जाना है)		
1. 3,	मल वेवन	***************************************	2	पदनाम		
5.	स्वीकृत छुट्टी की वि	रम एवं अवधि	4.	Je41014		
The state	छुट्टी की किस्म		₹			तक
6.	परिवार के सदस्यों व		नके लिए छुट्टी के दौरान	यात्रा संबंधी रियायत	का दावा किया गः कारी कर्मचारी के	या है।
मांक	SECTION OF THE	नाम	आयु	474	कारा कमचारा क	साथ सबध
,	ानामहरू / स्नाम	A				- Parker
		1				
	and the second second second second second second		W-1918			
		- (6	THEO THE PART PURE	16 16811		
						•
स्थान	आगमन	कि0मी0 में दूरी	यात्रा का आवास साधन श्रेणी		प्रदत्त किराया रू० पैसे	
					श्रीप्र कि विश्ववे प्र	(ख)वाक्रम से शिक्ष
					F	
নভাগ্রিকে	आहरण एवं सविवस्य					
	(/13/078)			- 18 ta 18 ta 18	<u> </u>	<del></del>
						(Mente
	A	<del></del>	<u> </u>			
8. 4	ादि कोई पेशगी ली है	ता उसका रा	शि क्षेत्रक्षित्र प्रदेश	m44		
9.	यात्राओं का विवरण	जिसमें सरकारी	ो कर्मचारी ने आवास के वि		वं श्रेणी का प्रयोग	किया जिस
			दिनांक दी जानी चाहिए)			
लिए	The second secon		0 10 1	V 0	0 0	
	ग्रान	परिवहन	का जिस श्रेणी के लिए पात्र था	वास्तव में जिस श्रेप		पदत्त किराय रू० पैसे
979	THE STATE OF THE S		ाल ए पात्र था	द्वारा यात्रा की		00 44
	तक	साधन	1113 114 11		अंग्रहात	
979	THE STATE OF THE S	साधन			संख्या	
979	THE STATE OF THE S	साधन			संख्या	G,

	र्ग द्वारा की गई यात्राओं का विवर				630 JK 1134
	का नाम	जिस श्रेणी के	लिए पात्र थे	रेल का किर	
<del>ो</del>	तक	1		₹90	पैसें
					,
	(3P) (SP 33P)	BAL HARR BERR PARE	<b>4</b> 1576		
	<b>प्रति क</b>	- t	The series		
	. (4 same	15-15M			
0 0	<b>1</b> 0				
प्रमाणित किया	जाता ह ।कः गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वा	ग मे सभी भे नजर			
1. 0548 41	गई जानकारा नर ज्ञान एव विरवा	त त तहा ह तथा			
छट उनव	ति / पत्नी सरकारी सेवा में कार्यर हे द्वारा स्वंय अथवा परिवार के कि	सी भी सदस्य हेत संबंधि	त ब्लांक वर्ष	से	तक नहीं
लिया गय	TE LOW TO BENEFIT HAS THE	हैं निर्म के फिडा गड़ी			
दिनांकः				र्मचारी के हस्ताक्ष विभाग/अनुभाग	
	,			प्रमाग / जानुगाग	
		भाग-ख			
	(बिल	अनुभाग द्वारा भरा जान	ना है)		
	(170)	organi and and on	67		
1. छुट्टी के	दौरान यात्रा संबंधी रियायत के व	गरण रू०(रूपये.			)
के पात्र थ	ये जिसका विस्तृत विवरण नीचे वि	या जा रहा है।		V V *	
		कामा जापार	रूपये	<u>शब्दा म</u> पैसे	
(क) रेलवे / वा	यु मार्ग / बस / स्टीमर का किराया		1099	417	
	ख्या	दिनांक	125 12		
	शगी की राशि				
	_1 1_1		*	गुद्ध राशि	··············
2. व्यय	को देय है				
बेल लिपिक	प्रति हस्ताक्षरित			आहरण एवं संवि	तरण अधिकारी
(अध्याक्षर)				(हस्ताव	भर)
4.	, tops	नेयंत्रण अधिकारी			
		(212001)			
	were mare and to this side it			PYSER IN THE	
प्रमाणित किया जात	ग है कि श्री/श्रीमती/कुमारी				
का सवा पाजका म	अनिवार्य प्रविष्टियां कर ली गई है	सार प्राप्त प्राप्ती			
			पंजिका में प्रविधि		
		chvel	वाले पाधिकत अ	याधिकारी के इस्त	गक्षर

## CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONTROLLING OFFICER

(i)	That Shri/Shrimati/Kumarihas rendered continuous service for one year or more on the date of commencement of outward journey.
	service for one year or more on the date or commencement or outward journey.
(ii)	That necessary entries as required under Para 1 of the Ministry of Home Affairs OM No. 43/1/55-(A) dated the 11 <sup>th</sup> October, 1956, have been made in the Service Book of Shri/Shrimati/Kumari
	(Signature and designation of the Controlling Officer)
GOVER	CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE NMENT SERVANT
1.	I have not submitted any other claim so far for Leave Travel Concession in respect of myself or my family members in respect of the block of two years and
2.	I have already drawn Advance for the Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife withchildren. This claim is in respect of the journey performed by wife/myself withchildren none of whom traveled with the party on the earlier occasion.
3.	The journey has been performed by me/my wife with children to the declared home town viz
4.	That my husband/wife is not employed in Government Service. That my husband/wife is employed in Government service and the concession has not been availed of by him/her separately for himself/herself or any of the family members for the concerned block of two years.
	Signature of the Government Servant